

प्राचार्य/अधीक्षक
हिमालयीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय
फतेहपुर टांडा, जीवनवाला, देहरादून।

दिनांक: 24.07.2015

विलम्ब शुल्क सम्बन्धी नियम

संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं को अवगत हो कि प्रबन्ध के अनुमोदन के पश्चात दिनांक 01 अगस्त 2015 से वार्षिक शुल्क पर देय विलम्ब शुल्क हेतु निम्न नियम लागू होंगे-

1. विलम्ब शुल्क निम्न दर से देय होगा-

शिक्षण शुल्क जमा करने की अवधि	विलम्ब शुल्क (रु0)
01 जुलाई से 31 जुलाई तक	शून्य
01 अगस्त से 31 अगस्त तक	500/-
01 सितम्बर से 30 सितम्बर तक	1000/-
01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक	1500/-
01 नवम्बर से 30 नवम्बर तक *	2000/-
01 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक	2500/-
01 जनवरी से 31 जनवरी तक	3000/-
01 फरवरी से 28 फरवरी तक	3500/-
01 मार्च से 31 मार्च तक	4000/-
01 अप्रैल से 30 अप्रैल तक	4500/-
01 मई से 31 मई तक	5000/-
01 जून से 30 जून तक	5500/-

2. 30 नवम्बर तक जो छात्र अपना पूर्ण शुल्क जमा नहीं करेंगे उनका नाम 01 दिसम्बर को कक्षा से स्वतः ही कट जायेगा व उनको कक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि ऐसे छात्र अपना शुल्क जमा करते हैं तो उपरोक्त के अनुसार उनको वार्षिक शुल्क विलम्ब शुल्क सहित जमा कराना होगा तथाउनके द्वारा पुनः प्रवेश शुल्क रु0 10,000/- भी देय होगा अन्यथा उनको कक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं करायी जा सकेगी।
3. विलम्ब शुल्क छात्र द्वारा जब तक देय होगा जब तक कि छात्र अपना पूर्ण शुल्क जमा नहीं कर देता अर्थात् Part Fee Payment की स्थिति में भी विलम्ब शुल्क उपरोक्तानुसार ही लागू होगा जब तक कि पूर्ण शुल्क जमा नहीं हो जाता।
4. बैंक लोन या अन्य किसी संस्था से प्राप्त लोन के माध्यम से शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों के लिये एक माह की स्थितिता प्रदान करते हुये उनके द्वारा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त होगी। यदि वे 31 अगस्त तक अपना शुल्क जमा नहीं करते तो वह अन्य छात्र-छात्राओं के भांति ही उक्त नियम लागू होंगे तथा ऐसे छात्र प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्राचार्य को 31 जुलाई तक सूचित करेंगे कि उनका शुल्क लोन के माध्यम से प्राप्त होगा।


(प्रो0 (डा0) ए0के0झा)
प्राचार्य/अधीक्षक

प्रतिलिपि:

1. सचिव/कोषाध्यक्ष
2. निदेशक
3. लेखा विभाग इस आशय से प्रेषित की-

(क) वह 30 नवम्बर की सांय 05 बजे तक अथवा आगामी कार्य दिवस पर ऐसे छात्रों की सूची पाठ्यक्रम/कक्षावार/बैचवार प्राचार्य को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगा। जिससे उनके कक्षा से नाम कटाने सम्बन्धित कार्यवाही की जा सके।

(ख) वह बिना विलम्ब शुल्क के उक्त अवधि में कोई भी शुल्क प्राप्त न करे, यदि आवश्यक हो तो वे उस दशा में प्राचार्य की लिखित अनुमति प्राप्त करेंगे।

(ग) वह वार्षिक एवं विलम्ब शुल्क नगद न प्राप्त करें यदि आवश्यक हो तो उस दशा में प्राचार्य की लिखित अनुमति लेना सुनिश्चित करे।

4. नोटिस बोर्ड



(प्रो० (डा०) ए०के०झा)
प्राचार्य/अधीक्षक